



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 69/16

निर्णय दिनांक:—28.06.2016

1. ईशरराम पुत्र मोहनराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मेघासर तहसील व जिला बीकानेर। (फौत)

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवला।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 08-05-2003  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 08-04-2003 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने चयनित होने का प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 1983 में पेश किया था जो लम्बे अर्से बाद वर्ष 2003 में अपने रिकार्ड पर लेकर

बिना सूचना दिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा वर्ष 1983 अथवा उससे पूर्व का चयनित होने बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-05-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 29-06-16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-05-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 29-06-2016 को प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष ग्रामीण एकीकृत योजनान्तर्गत चयनित होने के आधार पर आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट को अपने प्रार्थना पत्र के साथ उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपरिहार्य था। क्योंकि जिस योजना के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा आवंटन चाहा गया है उक्त योजना में चयनित होने का प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया कि वे स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आवे। किन्तु अपीलांट ना तो आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही आवंटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने व सबूतों के अभाव में अपीलांट का आवंटन आदेश खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद बाहर व सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन का आदेश दिनांक 08-05-2003 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर